भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5410

उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026

भारत संचार निगम लिमिटेड कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन

5410. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कर्मचारियों (कार्यपालकों और गैर-कार्यकारी) के लिए तीसरा वेतन संशोधन (तीसरा पीआरसी) 01-01-2017 से अभी भी लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने बीएसएनएल के सामरिक/राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके विशिष्ट मामले में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के वहनीयता खंड को माफ करने या उसमें छूट देने की संभावना की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सभी पात्र कर्मचारियों के लिए 15 प्रतिशत /10 प्रतिशत /5 प्रतिशत फिटमेंट की दर से तीसरे पीआरसी को लागू करने के लिए बीएसएनएल पर अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार कितना है और यह सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित बीएसएनएल के वर्तमान वित्तीय कायापलट और पुनरुद्धार पैकेजों की तुलना में किस प्रकार है; और

(घ) क्या सरकार का बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित तिथि से पहले (उदाहरण के लिए, 31-03-2026 से पहले) तीसरी पीआरसी लागू करने का विचार है और यदि हां, तो संभावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 03.08.2017 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन (ओएम) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, के अनुसार संशोधित वेतनमानों को इस शर्त के अधीन

लागू किया जाएगा कि बोर्ड स्तर के कार्यकारी अधिकारियों, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों और गैर-यूनियन वाले पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतन पैकेज को लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय भार, कार्यान्वयन के वर्ष से पहले के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। बीएसएनएल में तीसरा वेतन संशोधन लागू नहीं किया गया है क्योंकि यह लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के वहनीयता खंड के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
